स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 186.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में नैदानिक भ्रूणविज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, नैदानिक भ्रूणविज्ञानी, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नैदानिक भ्रूणविज्ञानी।	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये)।	लागू नहीं होता।	चालीस वर्ष से अधिक आयु नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में पाँच वर्ष तक शिथिल की सकती है)।

					टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वहा होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नैदानिक भ्रूणविज्ञान (न्यूनतम चार सेमेस्टर के पूर्ण कालिक कार्यक्रम के साथ स्नातक) में स्नातकोत्तर के साथ मानव युग्मक एवं भ्रूणों के हथालन में मानव एआरटी प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी होल्डर का पूर्ण कालिक पीएचडी प्रोजेक्ट नैदानिक भ्रूणविज्ञान (पूर्ण कालिक प्रोग्राम) या सहायक रेप्रोडक्टिव प्रोद्योगिकी या फर्टिलिटी) से संबंधित के साथ साथ मानव युग्मक एवं भ्रूणों के हथालन में मानव एआरटी प्रयोगशाला में दो वर्षो का अनुभव होना चाहिए; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नैदानिक भ्रूणविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ मेडिकल ग्रेजुएट(एमबीबीएस) या वेटेरिनरी ग्रेजुएट(बीवीएससी) के साथ साथ मानव युग्मक एवं भ्रूणों के हथालन में एआरटी प्रयोगशाला में तीन वर्षो का अनुभव होना चाहिए; या पंजीकृत एआरटी लेवल 2 नैदानिक में मानव युग्मकों एवं भ्रूणों के हथालन में चार वर्षों के अनुभव के अतिरिक्त जीव विज्ञान या बायोटेक्नॉलजी में स्नातकोत्तर सहित कार्य-स्थल पर न्यूनतम एक वर्ष का पूर्ण कालिक नैदानिक भ्रूणविज्ञान प्रमाणित प्रशिक्षण। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के	लागू नहीं होता।	एक वर्ष सीधी भर्ती के लिए। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना आज्ञापक होगा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है)/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा शामिल है/ आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500/- रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की है; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से

विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।				ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-** केवल केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकारी ही आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित से होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष; 2. संबंधित विभाग के प्रमुख, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य; 3. निदेशक (सम्बंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	सीधे भर्ती किए जाने की दशा में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/23/2024-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th November, 2025

G.S.R. 186.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Clinical Embryologist in the Ministry of Health and Family welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Clinical Embryologist, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Clinical Embryologist.	02* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Not applicable.	Not exceeding forty years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Post-graduate in clinical embryology (graduated with full time program with minimum four semesters) from a recognised University with one year human ART laboratory experiences in handling human gametes and embryos; or Ph.D. holder full-time Ph.D. project shall be related to Clinical Embryology or assisted reproductive technology or fertility from a recognised University with two years of human ART laboratory experience in handling human gametes and embryos; or Medical graduate (MBBS) or Veterinary graduate (BVSc) with a post-graduate degree in Clinical	Not applicable.	One year for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Deputation (including Short-term Contract)/ absorption, failing which by direct recruitment.

Embryology (full-time program) from a recognised University with three years of ART laboratory experience in handling human gametes and embryos; or Post-graduate in life sciences or Biotechnology with a minimum of one year of on-site, fulltime clinical embryology certified training with four years' experience in handling human gametes and embryos in a registered ART level 2 clinic. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/ absorption: Officers under the Central Government or State Government or Union territory administrations or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not	Group 'A' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent (concerned), Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; 2. Head of the Department (concerned), Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Member; 3. Director Administration (Concerned), in Directorate General of Health Services –Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary in case of direct recruitment.

exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** Only Central Government or State Government or Union territories employees shall be considered for absorption basis.		

[F. No. A-12018/23/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 187.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद **309** के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध संग्रहालय अध्यक्ष , तकनीशियन सिने-तकनीशियन , सहायक सिने -तकनीशियन, संग्रहालय सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, में संग्रहालय निरीक्षक, तकनीशियन सिने तकनीशियन, सहायक सिने तकनीशियन, संग्रहालय सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, संग्रहालय अध्यक्ष, तकनीशियन सिने-तकनीशियन, सहायक सिने -तकनीशियन, संग्रहालय सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: ऐसा व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।